संख्या–वे0आ0–2– 678 / दस–59(एम) / 2008 टी0सी0

प्रेषक,

अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 25 जून, 2010

विषयः–पुनरीक्षित वेतन संरचना में नॉन फंक्शनल वेतनमान का लाभ अनुमन्य होने की स्थिति में वेतन निर्धारण की प्रकिया स्पष्ट करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

वेतन समिति (2008) द्वारा की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राजकीय कर्मचारियों को शासनादेश संख्या–वे0 आ0–2–1314 / दस–59(एम) / 2008 दिनांक 08 दिसम्बर 2008 के माध्यम से दिनांक 01 जनवरी 2006 से अनुमन्य करायी गयी पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण की व्यवस्था शासनादेश संख्या–वे0 आ0–2–1318 / दस–59(एम) / 2008 दिनांक 08 दिसम्बर 2008 द्वारा की गयी थी। उक्त शासनादेश में उ0प्र0 सचिवालय के अनुभाग अधिकारियों एवं निजी सचिव श्रेणी–1 के पदधारकों को नॉन फंक्शनल वेतनमान के रूप में वेतनमान रू0 8000–13500 के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन का लाभ अनुमन्य होने की स्थिति में वेतन निर्धारण की प्रकिया स्पष्ट नहीं है। उक्त लाभ की अनुमन्यता होने पर वेतन निर्धारण की प्रकिया स्पष्ट किये जाने के संदर्भ प्राप्त हुये हैं।

भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सचिवालय के अनुभाग अधिकारियों को नॉन फंक्शनल वेतनमान की अनुमन्यता की स्थिति में कार्यालय ज्ञाप संख्या–6 / 3 / 2009–CS.I(S) दिनांक 19 नवम्बर 2009 द्वारा वेतन निर्धारण की वही प्रकिया अपनाये जाने की व्यवस्था की गयी है जो पदोन्नति होने की स्थिति में वेतन निर्धारण हेतु अपनायी जाती है।

3. उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 सचिवालय के अनुभाग अधिकारियों एवं निजी सचिव श्रेणी–1 के पदधारकों को नॉन फंक्शनल वेतनमान के रूप में वेतनमान रू0 8000–13500 के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन का लाभ अनुमन्य होने की स्थिति में वेतन निर्धारण की वही प्रकिया अपनायी जायेगी जैसी कि पदोन्नति होने की स्थिति में वेतन निर्धारण हेतु शासनादेश दिनांक 08 दिसम्बर 2008 के प्रस्तर–11 में वर्णित है। उदाहरणस्वरूप–नॉन फंक्शनल वेतनमान अनुमन्य होने की स्थिति में अनुभाग अधिकारी / निजी सचिव श्रेणी–1 के पद पर प्राप्त मूल वेतन के 03 प्रतिशत के बराबर एक वेतनवृद्धि को उक्त

धारित पद के ग्रेड वेतन रू0 4800 एवं नॉन फंक्शनल वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन रू0 5400 के अन्तर की धनराशि रू0 600 को जोड़कर उनका वेतन निर्धारित किया जायेगा।

भवदीय,

(अनूप मिश्र)
प्रमुख सचिव।

संख्या–वे0आ0–2– 678 (1)/दस–59(एम)/2008, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी–I एवं II तथा आडिट– I एवं II, उ0 प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8. गार्डबुक।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।